

वाराणसी विकास क्षेत्र, वाराणसी

अनुमति-पत्र

सं० 257 / न० 30 वि०

दिनांक 12.9.13

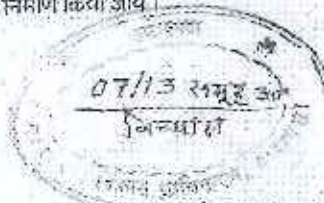
गृह निर्माणार्थ अनुमति-पत्र

यह अनुमति केवल 30 प्र० नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु इसका अर्थ यह न समझा जाना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर मकान बने इस किसी प्रकार या किसी स्थानीय निवास या स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मित्त्वयत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

निम्नलिखित प्रतिबन्धों के आधार पर अनुमति दी जाती है कि श्रीमती / श्री श्रीमती सुदीपिका
पिता/पति का नाम श्री राजेश कुमार आवासीय संस्था श्रीमती सुदीपिका
वाई में नक्शे में दर्शित स्थान पर जो प्रारंभिक पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये हैं, उपाध्यक्ष के सिद्धित भवन
विश्व अनुसार निर्माण अथवा पुनः निर्माण किया जाय।

मुहर

दिनांक 20



संलग्न अभिलेख (संलग्न)
 विभागाध्यक्ष वाराणसी
 वाराणसी विकास प्राधिकरण
 वाराणसी

नोट : 1- यह स्वीकृति पत्र केवल 5 वर्ष की अवधि के लिये है। यदि इमारत आलानुकूल नहीं बनी तो उपाध्यक्ष द्वारा उसे खिखाया जा सकता है अथवा ऐसे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है जो कि समुचित समझा जावे। इसका पूर्ण व्यय का भार प्रार्थी पर होगा। यदि कोई इमारत बिना उपाध्यक्ष की अनुमति प्राप्त किये निर्माणित अथवा पुनः निर्माणित होगा तो उसके निर्माणकर्ता को दण्ड दिया जायेगा अथवा इस प्रकार के अवज्ञामय इमारत को उपाध्यक्ष द्वारा हटवा दिया जायेगा और उसके हटाने के खर्च का भार उस इमारत बनाने वाले से वसूल किया जायेगा।

2. इस अनुमति पत्र में सड़क, नली या नाली पर बढ़ाकर प्रोजेक्शन जैसे कि पोर्टिको, बारजा, तोड़ा, सीढ़ी, हॉप नये अथवा पुराने निर्माण को तोड़कर उस जगह फिर से नये निर्माण की स्वीकृति चाहे उसके साथ नक्शे में दिखाई भी हो, नहीं प्रदान की जायेगी। इन निर्माणों के लिए प्राधिकरण अधिनियम की धारा 293 के अनुसार अनुमति प्राप्त करना होगा।

3. मकान निर्माण से यदि नाली सड़क की पट्टी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मान के अगवाड़े पिछवाड़े अथवा उसके आकार के कारण ढक ती गई हो) को हानि पहुँचे तो वह गृह स्वामी को गृह तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा सीधे कहा हो तो पहिले उसे अपने खर्चे से भरमात कराकर पूर्ववत् अन्तर्या में जिससे प्राधिकरण को संतुष्ट हो जाते, में कर देना होगा।

4. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1973 (अधिनियम इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन के नियम 1970) का अलंघन किसी दशा में न होना चाहिये। यदि उपाध्यक्ष की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह निर्माण को रोक अथवा हटा सकता है।

5. प्रार्थी को नियमानुसार उपाध्यक्ष को मकान के पूर्ण हो जाने की सूचना मकान समय के भीतर पूर्ण होने के पश्चात् 15 दिन के अन्दर देना होगा यदि सूचना दी गई तो यह समझा जायेगा कि मकान पूर्ण हो गया।

6. यह अनुमति यदि किसी कारणवश नजूल, प्राधिकरण अथवा जमीनदारी उन्मूलन के भूमि पर निर्माण हेतु दे दी गई हो तो सैप न मानी जायेगी और प्राधिकरण को अधिकार होगा कि ऐसे भूमि पर निर्मित भवन आदि हटा दे जिसका कोई हर्जाना प्राधिकरण द्वारा देय न होगा। इसलिए भूमि स्वामी अपनी भूमि के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी प्राप्त करके तभी निर्माण कार्य प्रारम्भ करें।

7. यदि अविकसित क्षेत्र के हेतु किसी प्रकार अनुमति दे दी गई तो वह भी वैध अनुमति पत्र नहीं माना जायेगा तथा ऐसे निर्माण कार्य को विराम कर दिया जायेगा जिसका कोई हर्जाना नहीं दिया जायेगा।

शर्तें :-

1. आपको मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पत्र दि० 27.08.13 द्वारा निर्गत की गयी अनापत्ति में उल्लिखित शर्तों का शत-प्रतिशत अनुपालन करना होगा।
2. आपको स्थल पर सम्पूर्ण निर्माण कार्य पूर्ण होने पर निशानुसार पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बिना पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किये भवन अथवा भवन के किसी अंश का उपयोग/उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा।
3. शारानादेश सं०-570/9-आ-1-मूकम्परोधी/2001(आ०ब०) दिनांक 03 फरवरी, 2001 एवं शारानादेश सं०-772/9-आ-1-मूकम्परोधी/2001(आ०ब०) दिनांक 13 फरवरी, 2001 के अनुसार मूकम्परोधी व्यवस्थाओं को पूर्ण करना होगा।
4. स्वामित्व के सम्बन्ध में एवं प्रश्नगत आराजी तथा रास्ते के सम्बन्ध में भविष्य में यदि कोई विवाद/तथ्य उजागर होते हैं तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व/जिम्मेदारी पक्ष/मानचित्र प्रस्तावक की होगी तथा उपरोक्त वर्णित दशा में विवाद/तथ्य उजागर होने पर प्रदत्त स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
5. आपको मानक के अनुसार रेन वाटर हार्डस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
6. पक्ष एवं आर्किटेक्ट एवं स्ट्रक्चर इंजीनियर जो यह सुनिश्चित करना होगा कि निर्माण मूकम्परोधी ही होगा, अन्यथा कोई अग्रिय घटना होने पर समस्त जिम्मेदारी पक्ष/आर्किटेक्ट/स्ट्रक्चर इंजीनियर की होगी।
7. पक्ष को स्थल पर मानक के अनुसार 150 पेड लगाना होगा।
8. पक्ष को मानचित्र में दर्शित बेसमेंट में ड्रेनिजेशन की व्यवस्था मैकेनिकल होगी।
9. पक्ष द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 21.05.13 में कहा गया है कि पूर्वी-उत्तरी कोने पर स्थित मन्दिर कुंआ मेरे द्वारा क्रय नहीं किया गया है। यद्यपि इसका रास्ता मेरे प्लॉट से ही है। अतः मन्दिर में पूजा-अर्चना हेतु जाने आने वाले लोग मेरे प्लॉट से ही जायेंगे। किसी के आने-जाने में अवरोध उत्पन्न नहीं करूंगा।
10. पक्ष को कुल पार्किंग का 10 प्रतिशत भाग Visitor Parking हेतु आरक्षित किया जायेगा जिसमें प्रवेश एवं निकास की उचित व्यवस्था की जायेगी।
11. मूखण्ड का क्षेत्रफल 2000 वर्ग मीटर से अधिक है, के सम्बन्ध में मलबा अपने मूखण्ड पर रखेगा।
12. पक्ष को स्वीकृत मानचित्र का निर्माण हम शपथकर्तागण के देख-रेख में होगा। निर्माण मूकम्परोधी ही होगा, अन्यथा कोई अग्रिय घटना होने पर समस्त जिम्मेदारी हम शपथकर्तागण की होगी।
13. पक्ष द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 27.08.13, 10.09.13 एवं 10.09.13 का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

01/09/13
महानगर अभियन्ता (भवन)
विशाल अभियन्ता, वाटनसी।